

कैमूर जिला में अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति हेतु दिनांक 17.05.2018 को अपराह्न 12.30 बजे जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार विधि पदाधिकारी (बचनबद्धता) नियमावली, 2017 के तहत खोजबीन समिति की आहूत बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति :-।

- I- जिला पदाधिकारी, कैमूर ।
- II- पुलिस अधीक्षक, कैमूर (भभुआ) ।
- II. अपर लोक अभियोजक, कैमूर ।

2. कैमूर जिला में अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति के संबंध में विधि विभाग का पत्र सं०-7542/जे. दिनांक 18.12.2017 एवं बिहार विधि पदाधिकारी (बचनबद्धता) नियमावली, 2017 का अधिसूचना ज्ञापांक-6537/जे० दिनांक 30.10.2017 की प्रति समिति के समक्ष रखा गया। साथ ही साथ अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, कैमूर का पत्र सं०-05/18 दिनांक 17.02.2018 द्वारा अपर लोक अभियोजकों की सूची भी रखी गयी।
3. अधिवक्ता संघ से प्राप्त सूची के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अपर लोक अभियोजक के लिए कुल 348 आवेदन पत्र समर्पित किये गये हैं। बैठक में विधि विभाग का पत्रांक-7542/जे० दिनांक 18.12.2017 में प्रावधानित हैं कि अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा सूची बिहार विधि पदाधिकारी (बचनबद्धता) नियमावली, 2017 के नियम-5(i) में गठित खोज-बीन समिति के माध्यम से मांग की गयी है। सूची भेजने में इस बात का ख्याल रखा जाना है कि अनुशंसित अधिवक्ताओं की सूची में समाज के सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व हों। यदि किसी विशेष वर्ग में से कोई योग्य अधिवक्ता नहीं हो तो उसका भी उल्लेख करना है।
4. जिला अधिवक्ता संघ, कैमूर से बचनबद्धता नियमावली, 2017 के कण्डिका-7(ग) के आलोक में कम से कम तीन पूर्व वित्तीय वर्षों की आयकर रिटर्न की सूची संघ द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। सूची के अनुसार निम्नलिखित अधिवक्ताओं द्वारा तीन वर्ष का आयकर निर्धारित अधिवक्ताओं की विवरणी निम्नवत् है :-


क्रमांक	जाति/वर्ग	अधिवक्ता का नाम	आयकर निर्धारण अवधि
1.	सामान्य	कमता प्रताप सिंह	3 वर्ष का दाखिल
2.		सत्य नारायण सिंह	
3.		कुमार अर्जुन सिंह	
4.		रंग बहादुर पाण्डेय	
5.		शशिभूषण पाण्डेय	
6.		सुरेन्द्र पाण्डेय-1	
7.		कुँवर लाल श्रीवास्तव	
8.		सच्चिदानंद पाण्डेय	
9.		सुरेन्द्र पाण्डेय	
10.		सतीश कुमार सिंह	

11.		श्यामानंद उपाध्याय
12.		उदय प्रकाश शुक्ला
13.		भोला जी सिंह
14.		प्रकाश सिंह @ गोपाल सिंह
15.		मुन्ना सिंह
16.		अशोक कुमार सिंह
17.		सच्चिदानंद राय
18.	पिछड़ा वर्ग	शिवशंकर प्रसाद अग्रवाल
19.		विरेन्द्र प्रसाद सिंह
20.		राम दयाल सिंह
21.		रामानंद सिंह
22.		दाऊजी
23.		निशिकांत निलेश
24.		जनार्दन सिंह
25.		मदन सिंह
26.		सुशील कुमार सिंह
27.		सुनिल कुमार पटेल
28.		दयानंद सिंह
29.		अरविंद कुमार सिंह
30.	अति पिछड़ा वर्ग	शून्य
31.	अनुसूचित जाति	श्यामबिहारी प्रसाद
32.		मुन्ना प्रसाद
33.	अनुसूचित जन जाति	संजय कुमार शर्मा
34.	अल्पसंख्यक	डॉ० वजीद अहमद खॉ
35.		मो० असलम
36.	महिला	मीना श्रीवास्तव

5. बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2017 के कंडिका 7(ग) के अनुसार सूची की स्क्रूटनी करने पर सभी कोटि से उपरोक्त वर्णित नामों के अधिवक्ता द्वारा गत तीन वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण पाया गया। शेष अधिवक्ताओं द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है।
6. बैठक में उपस्थित लोक अभियोजक, कैमूर द्वारा बताया गया कि व्यवहार न्यायालय, भभुआ में जिला न्यायाधीश सहित सत्र न्यायालयों की कुल सं०-12 है। बचनबद्धता नियमावली के कंडिका-7 के अनुसार नियमावली के नियम-3(5) में निहित निदेश के अनुसार विधि पदाधिकारियों की सं० की दो गुनी संख्या में अधिवक्ताओं के नामों की अनुशंसा भेजी जानी है।

7. समिति में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि फार्म के आधार पर अहर्ता वाले अभ्यर्थियों की सूची समाहरणालय, जिला बार एशोसिएशन एवं NIC के site पर display करते हुए तीन दिनों का समय दिया जाता है। तदोपरांत कोटिवार जिस अधिवक्ताओं द्वारा विगत तीन वर्ष का आयकर निर्धारण विवरणी दी गयी है। सर्वप्रथम उनका एक समिति द्वारा साक्षातकार लिया जाय उसके बाद सूची पर निर्णय लिया जायेगा। समिति द्वारा कार्यालय को निदेशित किया गया कि अधिवक्ताओं को नोटिस देकर साक्षातकार के लिए बुलाया जाय।


इसी निर्णय के साथ आज की बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


17.5.18
जिला पदाधिकारी
कैमूर (भभुआ)।

ज्ञापांक-XII-01-18.....137B...../विधि, दिनांक.....21.5.18

प्रतिलिपि:- समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।


17.5.18


21.5.18
जिला पदाधिकारी
कैमूर (भभुआ)।